**800-43/2010-वीएएस**
**भारत सरकार**
**संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय**
**दूरसंचार विभाग**
**(अभिगम सेवा प्रकोष्ठ)**
**संचार भवन,20,अशोक रोड**
**नई दिल्ली -110001**

**दिनांक 15 नवंबर.2010**

सेवा में
सभी बुनियादी/ सीएमटीएस/यूएएस लाइसेंसधारक

**विषय : राष्ट्रीय गान से संबंधित अनुदेश**

दूरसंचार विभाग की जानकारी में यह लाया गया है कि सेवा प्रदाता राष्ट्रीय गान को रिंग बैक टोन के रूप मे बजाने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। यह बताया गया है कि राष्ट्रीय गान को रिंग बैक टोन के रूप में बजाने के प्रावधान से राष्ट्रगौरव अपमान निवारण अधिनियम,1971 और राष्ट्रीय गान से संबंधित अधिशासी अनुदेशों का अनुपालन नहीं होता है ।

लाइसेंसधारकों को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाता है कि उनके द्वारा प्रदत्त सेवाएं उपर्युक्त अधिनियम के उपबंधों और अधिशासी आदेशों का अनुपालन करती हैं। इनमें किसी भी प्रकार का उल्लंघन लाइसेंस करार की अनुबंध व शर्तों का उल्लंघन समझा जाएगा ।

(विनोद कुमार )
निदेशक(एएस-II)

प्रति प्रेषितः
1. सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
2.बेतार सलाहकार / आर्थिक सलाहकार /वरिष्ठ उप महानिदेशक (डब्ल्यूपीएफ)/वरिष्ठ उप महानिदेशक (टीईसी)
3. उप महानिदेशक (सुरक्षा)/ उप महानिदेशक (सीएस) / उप महानिदेशक (डीएस)/ उप महानिदेशक (एलएफ) / उप महानिदेशक (आईपी)/संयुक्त सचिव(दूरसंचार)
4. भारतीय सेल्यूलर प्रचालक संघ
5. निदेशक(सूचना प्रौद्योगिकी)- कृपया इस पत्र को दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।